<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर –01, फतेहपुर।</u>

उपस्थितः राम किशोर–III ..... एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड–UP6055

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–984 सन् 2026

UPFT010025612026

विवेक कुमार मिश्रा उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र राजेन्द्र कुमार मिश्रा
निवासी–ई 2/626 ख न 82 मन्दिर वाली गली नं०–4 चूना भट्टी के पास पुस्ता 5 सोनिया बिहार करावल नगर नई दिल्ली 1100094.

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या–37 सन् 2025
धारा–318(2), 319(2), 3(5), 338, 336(3), 340(2) व 111(4) भारतीय न्याय संहिता एवं
धारा–66C व 66D IT Act.
<u>थाना–साइबर क्राइम , जिला फतेहपुर।</u>

आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–37 सन् 2025, धारा 318(2), 319(2), 3(5), 338, 336(3), 340(2) व 111(4) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66C व 66D IT Act., थाना साइबर क्राइम, जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रतीक कुमार मिश्रा द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण बेरोजगार है रोजी और रोजगार के सिलसिले में माह अगस्त 2025 में गूगल में ढूंढ रहा था तभी JUST DIAL कि WEBSITE खुली और उसमे एक नम्बर 7080704159 WONDER TOUR AND TRAVELS आया जिसमें बात करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम वरुण उपाध्याय बताया जिसमें अपने को एजेंट बताया और उसने कहा कि सिंगापुर में जब मिलेगी किन्तु इसके लिये कुछ रूपए व आवश्यक कागजात लगेंगे और उसने वादी को पूर्ण विश्वास में ले लिया और वादीगण भी बेरोजगार होने के कारण उसके झांसे में आ गये और वरुण ने कहा उसके ऑफिस आशियाना खजाना मार्केट थाना आशियाना जिला लखनऊ कि LGF–162 में है वहां पर आ जाओ फिर हमारी बातचीत हो जाय और जल्द से जल्द सिंगापूर भेजकर रुपए कमाने का आस्वासन दिया। वादीगण बेरोजगार होने के कारण किसी प्रकार अपने भाई और दो दोस्तों के साथ कुछ रूपए लेकर उक्त पते पर दिनांक 16.09.2025 आशियाना गए जहाँ पर वरुण ने वादी के भाई और दो दोस्तों का मेडिकल करवाया और अनुभव प्रमाण पत्र और सभी का VEDIO बनवाया जब पूरी तरह से वादीगण को झांसे में ले लिया तो वादीगण से कहा आप दोनों भाई का 244950 और दुसरे

Digitally signed by RAM KISHOR
Date: 2026.06.09 11:05:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दोस्त संजय 175225 तीसरे दोस्त जाकिर से 148000 की मांग की जिस पैसे को वादीगण ने ऑनलाइन विक्रम इंटर प्राइजेज में और आदर्श सिंह के UPI–9565757565 में ट्रांसफर करा लिया इसके बाद हमसे 3 CHEK लिया जिसका CHECK नम्बर 000015, रुपए 45000 दूसरा CHECK नम्बर 713336 रुपए 25000, तीसरा CHECK नम्बर 713337 रुपए 25000 और वादीगण का पासपोर्ट ले लिया इसके बाद अस्वासन दिया कि 08.10.2025 एयर इण्डिया का हवाई टिकट व सिंगापुर का परमिट भी दिया और कहा कि घर जाओ। उक्त वरुण ने अपना आधार कार्ड 578278124516 संख्या का अधर कार्ड दिया और मेल में ऑफर लेटर भेजा लगातार वादी को धोखे में रखा। अचानक दिनांक 05.10.2025 को वादी के पास उक्त वरुण ने फोन करके बताया कि सिंगापूर कि अपोइंटमेंट कि डेट नहीं मिल पा रही इस कारण आपकी हवाई यात्रा कि टिकट रद्द हो गयी है अगली तिथि 21.10.2025 कि मिली है। मैं आपको जल्द ही टिकट दे दूंगा उसके बाद वरुण से लगातार वार्तालाप होती रही परन्तु दिनांक 17.10.2025 को वादी ने जब वरुण को फोन किया तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया तब वादी को अहसास हुआ कि फ्राड और साइबर ठगी की गयी तब वादी अन्य बेरोजगार साथियों के साथ लखनऊ उक्त अफिस गया तो ताला लगा था अगल बगल के लोगों से पूछ ताछ की गयी तो पता चला कि उक्त वरुण एक सप्ताह से ऑफिस नहीं आया। इस प्रकार वादी के साथ वरुण ने पूर्ण रूप से छल प्रवचन करके फ्रड किया और वादी की बेरोजगारी का फायदा उठाकर 568175 रुपए ठग लिया दोनों भाई और दोनों दोस्त खेत और जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे। अतः प्रार्थना है उक्त तत्थ्यो को रखते हुए वादी के साथ हुई साइबर क्राइम व धोखाधड़ी कि रिपोर्ट दर्ज करे महान दया होगी। उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त वरुण उपाध्याय के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–37/2025 पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त दिनांक 30.03.2026 से जिला करागार फतेहपुर में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गलत व झूंठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है मात्र अभियुक्त आदर्श सिंह के बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में मुल्जिम बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास कोई भी धनराशि की बरामदगी पुलिस द्वारा नहीं की गयी और पुलिस द्वारा वरुण उपाध्याय के स्थान पर आवेदक/अभियुक्त को फंसा दिया गया है विवेचनाधिकारी ने सही विवेचना नहीं की है। वरुण उपाध्याय का आधार कार्ड संख्या 578278124516 दिखाया गया है जबकि आवेदक/अभियुक्त का आधार कार्ड संख्या 727051514516 है इस आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना आवश्यक है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। आवेदक/अभियुक्त का उपरोक्त घटना से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की दशाओं का सदैव पालन करेगा और जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः याचना किया है कि आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा मुनासिब जमानत मुचलका पर मुक्त किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय है। आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

अभियोजन के अनुसार अभियोग की विवेचना से आवेदक/अभियुक्त आदर्श सिंह सहित सह अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा की घटना में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य है। आवेदक/अभियुक्त आदर्श सिंह की निशादेही पर लखनऊ नाका हिन्डोला में किराये के कमरे में व्यस्थित Wonder Tour & Travels कार्यालय से कूटरचित दस्तावेज सहित इलेक्ट्रानिक उपकरण यथा लैपटाप, मोबाइल फोन, इन्टरनेट राउटर, मोबाइल फोन एंव अभिलेख एव विजिटिंग कार्ड आदि बरामद किये जाने तथा केस डायरी के

पर्चा नम्बर चार के अवलोकन से विदित है कि दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा उर्फ वरुण उपाध्याय पुत्र राजेन्द्र कुमार मिश्रा का नाम प्रकाश में आया है। सहअभियुक्त आदर्श सिंह एवं विवेक कुमार मिश्रा उर्फ वरुण उपाध्याय द्वारा एक राय होकर संगठित तरीके से अन्य नाम पता पर निर्गत मोबाइल सिम एवं लाइसेंस नम्बर/जी.एस.टी. नम्बर का प्रयोग कर गूगल र कूटरचित वेवसाइट बनाकर आम जनमानस से विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी किये जाने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का व गैर जमानतीय है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार मिश्रा की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–984/2026 निरस्त किया जाता है।

(राम किशोर III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नम्बर–01, फतेहपुर।

दिनांकः 09.06.2026